छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
–: : मंत्रालय : :–
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
E-mail : revenue.cg@gov.in, दूरभाष क्र.–0771–2510994

===0===

क्रमांक एफ 13–02/2024/सात–4 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/11/2024

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
(छत्तीसगढ़)।

विषय :– छत्तीसगढ़ राज्य में कृषक पंजीयन **(Farmer Registry)** अभियान संचालन किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– 1. **Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure (Public Finance - state Division) F.No. 44(1)/PF-S/2024-25, Dated 09 August, 2024.**
2. **कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र क्र. Z-11021/60/2022-Digital Part-1 दिनांक 12.04.2023.**

––::00::––

विषयांतर्गत कृपया अवगत हो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना अंतर्गत एग्रीस्टेक परियोजना के तहत् सम्पूर्ण देश में कृषक हित में डिजिटल पब्लिक इनफ्रस्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure) के माध्यम से नवाचार किया जा रहा है। एग्रीस्टेक परियोजना के तीन भाग है –

1. ग्राम का जियो रिफ्रेंसिंग सर्वेक्षण नक्शा,
2. राजस्व संबंधित अधिकार अभिलेख (RoR),
3. डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS)

छत्तीसगढ़ राज्य में एग्रीस्टेक परियोजना के अन्तर्गत 20551 ग्राम में से 10243 ग्राम का जियो रिफ्रेसिंग सर्वेक्षण नक्शा पॉयलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत तैयार कर लिया गया है। यह 20 जिले में समाहित है। इनमें से 19 जिले के 37 तहसील के 1114 पटवारी हल्का के अन्तर्गत 4271 गांव के कुल 49,64,838 खसरा, कुल खाता 16,03,071 तथा कुल रकबा 13,72,768.137 हेक्टेयर का जियो रिफ्रेसिंग सर्वेक्षण नक्शा तैयार किया गया है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण (**DCS**) 33 जिलों में से 03 सम्पूर्ण जिले एवं शेष 16 जिलों के एक–एक चयनित तहसील में किया जा रहा है, जिसमें 3314 ग्राम, 36,05,845 कुल खसरा नंबर, 10,91,381 खाताधारक के नाम पर दर्ज है, जिसका रकबा 10,10,587.819 हेक्टेयर है।

एग्रीस्टेक परियोजना के आगामी चरण के रूप में सभी कृषि भूमिधारक का कृषि भूमि पहचान पत्र (Farm Land ID) एवं कृषि भूमिधारक का पहचान पत्र (Farmer ID) का निर्माण किया जाना है।

छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 20551 ग्राम में से 20242 राजस्व ग्राम घोषित है जिसमें से 19681 में कृषि भूमि उपलब्ध है। शेष 561 ग्रामों में से 402 विरान ग्राम के रूप में तथा 159 ग्राम में शासकीय भूमि, पट्टा पर प्रदत्त भूमि, आबादी भूमि इत्यादि के रूप में चिन्हित है।

राज्य में कुल 2,48,21,641 खसरा है, जिसमें से 2,18,99,199 खसरा कृषि भूमि से संबंधित है, शेष 28,18,482 खसरा शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। 15,841 खसरा आबादी भूमि के रूप में वर्गीकृत है। 88,110 खसरा शासकीय पट्टे पर प्रदत्त भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखों में चिन्हाकित है।

राज्य में कुल कृषि भूमि खसरा 2,18,99,199 है, जो 1,07,37,275 कृषि भूमिधारक के पास है। इनमें से 53,22,513 **(49.57 प्रतिशत)** धारकों का मोबाईल नंबर राजस्व दस्तावेजों में प्रविष्टि कर लिया गया है। शेष 54,14,762 कृषि भूमिधारक का मोबाईल नंबर प्रविष्टि किया जाना है। इसी तरह से 41,01,953 **(38.20 प्रतिशत)** कृषि भूमिधारकों का आधार कार्ड नंबर दस्तावेजों में प्रविष्टि कर लिया गया है। शेष 66,35,322 कृषि भूमिधारक का आधार कार्ड नंबर प्रविष्टि किया जाना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत राज्य में लगभग 40,08,908 किसान चिन्हाकित किया गया है।

राज्य में कुल 20242 राजस्व ग्रामों में से 19,170 ग्राम का डेटा केन्द्र को प्रेषित किया जा कर कृषि भूमि पहचान पत्र (Farm Land ID) के रूप में 2,02,82,723 का निर्माण कर लिया गया है। साथ ही 77,12,168 बकेट (Buckets) बना लिया गया है।

कृषक पंजीयन कार्य हेतु कार्ययोजना निम्नलिखित अनुसार है :–

कृषक पंजीयन(Farmer Registry) क्या है –?

कृषक पंजीयन डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य देश भर के कृषि भूमिस्वामी की एक व्यापक और एकीकृत पंजीयन बनाना है। यह पंजीयन यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि सरकारी योजनाएँ और लाभ सही लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक पहुँचे। कृषक पंजीयन न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देती है बल्कि कृषि अनुदान, बीमा और इसी तरह की अन्य सहायता प्रणालियों के वितरण को भी सुव्यवस्थित करती है। कृषक पंजीयन कृषि क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन का अभिन्न अंग है जिससे कृषकों की आजीविका में सुधार के लिए बेहतर योजनाएं, नीति निर्माण और संसाधन का आबंटन संभव हो पाता है। कृषक पंजीयन कृषि भूमिधारक के पहचान पत्र (Farmer ID) को भूमि स्वामित्व के साथ जोड़कर कृषक को सत्यापित करती है।

कृषक पंजीयन(Farmer Registry) से लाभ –

(1) केन्द्र सरकार की योजनाएँ :–

- ✓ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी
- ✓ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- ✓ ए.आई.एफ **(Agriculture infrastructure fund)**
- ✓ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)
- ✓ उर्वरक अनुदान
- ✓ प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना **(P. M. K. S.Y)**

(2) केन्द्रीय सरकार प्रणाली :–

- ✓ I.C.C.C. **(Integrated command and control centre)**
- ✓ कृषि डी.एस.एस.**(Decision support system)**
- ✓ अधिक
- ✓ एम.किसान
- ✓ पी.एम.एस
- ✓ एन.पी.एस.एस.**(National pest surveillance system)**
- ✓ बीज ट्रेसिबिलिटी प्रणाली
- ✓ किसान कॉल सेंटर

(3) राज्य सरकार की योजनाएँ :–

- ✓ कृषि ऋण योजना
- ✓ मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना
- ✓ मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- ✓ कृषि मशीनीकरण योजना

(4) राज्य सरकार की प्रणाली :–

- ✓ डी.बी.टी.**(Direct Benefit Transfer)**
- ✓ सिंगल साइन ऑन.**(S.S.O.)**

उपरोक्त सभी का पारदर्शी रूप से कृषकों को सीधा लाभ संभव हो सकेगा।

कृषक पंजीयन(Farmer Registry) कौन करेगा –

- स्वयं किसान द्वारा (मोबाईल एप्प के माध्यम से)
- स्थानीय युवा द्वारा (मोबाईल एप्प के माध्यम से)
- CSC (Common Service Center) के माध्यम से
- पटवारी द्वारा (वेब साईट के माध्यम से)

छ.ग. राज्य अंतर्गत 21101 CSC कार्यरत है, जो शहरी तथा ग्रामीण स्तर पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे है। उपरोक्त वर्णित में से सभी माध्यम द्वारा राज्य में कृषक पंजीयन का कार्य करवाया जाना है। इसमें से भी सामान्य सेवा केन्द्र CSC (Common Service Center) की उपलब्धता प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सुलभ रूप से होने तथा अलग–अलग विभागों के कार्य संपादन का पूर्व अनुभव होने के आधार पर इसे प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जा रहा है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.08.2024 अनुसार राज्य में कृषक पंजीयन हेतु सामान्य सेवा केन्द्र CSC (Common Service Center) को अधिकृत किया गया है एवं प्रत्येक **e- KYC** के लिए 15 रूपये भुगतान दर निर्धारित किया गया है। **(संलग्न –1)**

कृषक पंजीयन(Farmer Registry) के लिये आवश्यक दस्तावेज –

1. कृषि भूमिस्वामी होने संबंधित दस्तावेज **(बी–1, खसरा, ऋण पुस्तिका)**
2. आधार कार्ड
3. मोबाईल

कृषक पंजीयन(Farmer Registry) आई डी की आवश्यकता क्यों है–

1. कार्यात्मक (Functional) आई डी के रूप में आधार नंबर के उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध है।
2. आधार नंबर से हमारा बैंक खाता भी जुड़ा है, अर्थात् यह एक वित्तीय पता भी है। इसलिये इसका उपयोग अविवेकपूर्ण तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।
3. किसान आई डी, स्वास्थय आई डी, शिक्षा आई डी, इत्यादि कार्यात्मक (Functional) आई डी या डोमेन आई डी आधार नंबर का उपयोग करके बनायी जाती है, लेकिन आधार नंबर स्वयं डोमेन आई डी के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

कृषक पंजीयन(Farmer Registry) के लिये आवश्यक डेटाबेस प्राप्ति के विभाग –

1. मार्कफेड
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PMKISAN)
4. वन अधिकार पत्र (FRA)
5. तेन्दु पत्ता वितरण सूची
6. आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग उपरोक्त समस्त विभाग/कार्यालय से कृषक पंजीयन के लिए आवश्यक डेटाबेस (मोबाईल नंबर एवं आधार कार्ड नंबर पंजीयन) प्राप्त करेगा एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार अपने उपलब्ध डेटाबेस से मैंचिंग कराकर अद्यतन करेगा। जिसके पश्चात ही e-KYC कराने पर डेटा की शुद्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

कृषक पंजीयन(Farmer Registry) की अनिवार्य विशेषताएं –

- कृषक पंजीयन में सभी कृषि भूमि का विवरण भू–अभिलेख के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- कृषक पंजीयन में मृतक भूस्वामी के स्थान पर वारिसान भूस्वामी का नाम दर्ज करने की सुविधा होगी।
- कृषक पंजीयन में प्रत्येक भूखण्ड एक या एक से अधिक भूधारक के नाम दर्ज होगा।
- कृषक पंजीयन में प्रत्येक भूस्वामी का आधार नंबर प्रविष्टि होगा।
- कृषक पंजीयन में भूमि के खरीदी– बिकी, उत्तराधिकार या बंटवारा के माध्यम से भू– अभिलेख दुरूस्त किये जाने पर स्वतः अद्यतन होगा।
- कृषक पंजीयन में भूमिस्वामी का हिस्सा राजस्व अभिलेख के अनुसार होगा।

कृषक पंजीयन(Farmer Registry) भू–अभिलेख से कैसे भिन्न है –

- कृषक पंजीयन में न केवल कृषि भूमिस्वामी बल्कि पशुपालक, मत्स्यपालक भी शामिल होगे।
- कृषक पंजीयन में मृतक कृषि भूमिस्वामी का नाम नहीं होगा अपितु उनके वारिसान का नाम होगा।

- कृषक पंजीयन में भू–अभिलेख के तरह संयुक्त भूमिस्वामी नहीं होगे बाल्कि लाभ के विवरण के लिये प्रत्येक भूमिस्वामी के पास हिस्सा होगा।
- कृषक पंजीयन में भू–अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु त्वरित व्यवस्था होगी जबकि राजस्व में भू–अभिलेख अद्यतन किये जाने में विलंब होता है।
- कृषक पंजीयन में प्रत्येक कृषि भूमि स्वामी का आधार नंबर प्रविष्टि होगा।
- कृषक पंजीयन में कृषि भूमिस्वामी की जाति, वर्ग, आय, परिवार, मृत्य पंजीयन आदि के संबंध में भी लिंक होगे।
- कृषक पंजीयन में मोबाईल नंबर, पैन नंबर, जैसे अन्य जानकारी प्राप्त करने की सुविधा है।
- कृषक पंजीयन में कृषि भूमिधारकों को प्राप्त होने वाले लाभ तथा भूमि से प्राप्त होने लाभ के बारे में भी जानकारी होगी।
- कृषक पंजीयन किसी भी कृषि भूमिस्वामी को कोई कानूनी अधिकार नहीं देता है।
- कृषक पंजीयन उपरोक्त समस्त डेटा को एग्रीस्टेक सहमति प्रबंधक (ACM) के माध्यम से कृषक द्वारा प्रदान की गई स्पष्ट सहमति के बाद ही दूसरे आवश्यक हितधारकों के साथ साझा किया जावेगा।

कृषक पंजीयन(Farmer Registry) क्यों गतिशील (Dynamic) है –

- कृषक पंजीयन यह सुनिश्चित करता है कि केवल उन्ही कृषि भूमिस्वामी को धारित भूमि का लाभ प्राप्त हो जो प्रचलित योजना समय भूमिस्वामी है।
  उदाहरण :– जैसे किसी कृषि भूमिस्वामी द्वारा अपनी भूमि को बेच दिया गया है तो उसे किसान केडिट कार्ड जारी नहीं किया जावेगा।
- कृषक पंजीयन द्वारा केवल वर्तमान भूमिस्वामी ही अपनी कृषि भूमि पर लाभ प्राप्त करने के लिये किसी अन्य को अधिकृत करने में सक्षम होगा।
  उदाहरण :– न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज का विक्रय या तो वर्तमान भूमि स्वामी द्वारा किया जायेगा अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।
- कृषक पंजीयन में मृतक कृषि भूमिस्वामी का नाम हटा दिया जायेगा और उसके स्थान पर वारिसान का नाम आ जायेगा ताकि वर्तमान भूमिस्वामी को उक्त भूमि संबंधित योजना का लाभ मिल सके।
  उदाहरण :– यदि किसी A नाम के कृषि भूमिस्वामी की मृत्यु हो गई है और B उसका वारिसान है, तो जब तक हम B को उक्त कृषि भूमिस्वामी के रूप में अद्यतन नहीं करते है तब तक B को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

कृषक पंजीयन(Farmer Registry) के लिये जिला स्तर पर संस्थागत संरचना–

1. District Digital Agriculture Cells (DDACs)

अध्यक्ष – कलेक्टर

सदस्य –
1. उप संचालक, कृषि
2. NIC अधिकारी
3. स्थानीय कृषि विशेषज्ञ

भूमिका –
1. स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन
2. कृषकों को जोड़ना
3. डेटा एकत्र करना

2. Block-level Implementation Teams (BITs)

अध्यक्ष – विकासखण्ड अधिकारी **(BDO)**

सदस्य – 1. कृषि विस्तार अधिकारी **(AEO)**
2. स्थानीय तकनीकी अमला

भूमिका – 1. मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन
2. कृषक प्रशिक्षण एवं सहयोग

3. Village Level - Farmer Advisory Groups (FAGs)

1. प्रगतिशील कृषक
2. स्थानीय जनप्रतिनिधि
3. FPOS के प्रतिनिधि

कृषक पंजीयन(Farmer Registry) – CSC ऑपरेटर द्वारा –

1. CSC ऑपरेटर ग्राम पंचायत स्तर पर अपने कम्प्यूटर/लैपटाप/टेबलेट पर वेब पोर्टल को खोलेगा और CSC लॉगिन पर क्लिक करेंगा।
2. आधार e-KYC के लिये S.S.O. (सिंगल साइन –ऑन) लॉगिन के लिये अपना विवरण (Credential) दर्ज करेगा।
3. कृषि भूमिस्वामी का आधार नंबर/मोबाईल नंबर दर्ज करेगा।
4. भूमि बकेट (Land Bucket Claim) दावा के लिये कृषि भूमिस्वामी पंजीयन फॉर्म में विवरण दर्ज करेगा।
5. स्क्रीन पर दिखाई देने वाले चेक बाक्स का चयन कर सही भूमि का दावा करेगा।
6. यदि भूमि स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है तो उसे खसरा नंबर और अन्य विवरण डालकर जोड़ेगा।
7. ऑपरेटर कृषि भूमिस्वामी को सहमति और ई–हस्ताक्षर प्रक्रिया को समझायेगा और प्रक्रिया पूरी कर फॉर्म जमा करेगा।
8. ऑपरेटर द्वारा सफल भुगतान करने पर CSC भुगतान गेटवे खुल जायेगा, और आवेदन जमा हो जायेगा।
9. अनुमोदक/सत्यापनकर्ता अधिकारी (पटवारी/राजस्व निरीक्षक) वेरीफायर एप्प में जाकर अपने विवरण का उपयोग कर कृषक पंजीयन एप्लीकेशन में उक्त सभी नाम एवं विवरण का मिलान करके दावा स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा।
10. स्वीकृति के 24 घण्टे के भीतर कृषक के मोबाईल नंबर पर कृषक पहचान पत्र संख्या (Farmer Registry ID Number) प्राप्त हो जावेगा।

कृषक पंजीयन(Farmer Registry) CSC ऑपरेटर के लिये मूलभूत तथ्य

1. CSC ऑपरेटर को कृषक पंजीयन के कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिये अच्छी तरह से प्रशिक्षण देना होगा।
2. CSC ऑपरेटर को कृषक पंजीयन पूरा होने तक सिंगल साईन–ऑन (S.S.O.) के लिये अपने CSC लॉगिन Credential का उपयोग करना होगा।
3. CSC ऑपरेटर को कृषक पंजीयन के लिये फॉर्म में जानकारी स्थानीय भाषा में दर्ज करने के लिये अनुवाद टूल की आवश्यकता होगी।

4. CSC ऑपरेटर को कृषक पंजीयन के लिये सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट रूप से समझना होगा।
5. CSC ऑपरेटर को कृषक पंजीयन के उद्देश्य और इसके लाभ के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा।
6. CSC ऑपरेटर को कृषक पंजीयन के लिये OTP का सत्यापन, भू-अभिलेख की जांच, आधार नंबर, मोबाईल नंबर, की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक करनी होगी।
7. CSC ऑपरेटर को कृषक पंजीयन के लिये तकनीकी मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर हेल्पडेस्क से तत्काल संपर्क करना होगा।

कृषक पंजीयन(Farmer Registry) के लिये सत्यापनकर्ता (पटवारी)

- CSC ऑपरेटर द्वारा किये गये कृषक पंजीयन के लिये सत्यापनकर्ता के रूप में हल्का पटवारी को नियुक्त किया जाना है।
- हल्का पटवारी उन सभी कृषकों का सत्यापन करेगे जिनका नाम राजस्व रिकार्ड (भू-अभिलेख) एवं आधार कार्ड के आधार पर समानता (Match) स्कोर 80 प्रतिशत से कम हो।
- हल्का पटवारी पंजीयन से जुड़े सभी दस्तावेज और आधार कार्ड नंबर की जानकारी की जांच कर यह पुष्टि करेगे की उपरोक्त दर्ज कि गई जानकारी सही है।
- हल्का पटवारी उपरोक्त सत्यापन के पश्चात् पंजीकृत कृषक के रिकार्ड को स्वीकृत करेगे, इसके पश्चात् ही कृषक पहचान पत्र (Farmer ID) बन पायेगा।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी कार्य जारी है। उक्त समस्त धान खरीदी केन्द्रों में CSC (Common Service Center) के माध्यम से e-KYC का कार्य कराये जाने से जिले में अच्छी प्रगति प्राप्त हो सकती है। इसी तरह सभी भुगतान केंद्र/बैंक में CSC के माध्यम से कृषक पंजीयन **(Farmer Registry)** कार्य किया जा सकता है।

20.11.24

(अविनाश चम्पावत)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 13-02/2024/सात-4 **नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक**
प्रतिलिपि :-

1. कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. सचिव, छ.ग. शासन,कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. संचालक, भू-अभिलेख, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग